Online CPC 2025/0131
151

बबलू बनाम दिलेर सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2023/024

02.01.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे वहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – वादी द्वारा माननीय न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। चक 3 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/4 के मु0 नं0 39 के किला नं0 21 ता 25 की 1.114 हैक्टे0 कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और उक्त भूमि पर कब्जा मुझ अप्रार्थीगण का है एवं उक्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावे। वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी है जिसके सम्बन्ध में माननीय पुनर्वास विभाग/उपजिलाधीश श्रीगंगानगर में खातेदारी के सम्बन्ध में कार्यवाही जेरकार है एवं मुझ प्रार्थीगण द्वारा जरिये ईकरारनामा कृषि भूमि खरीद की गई है इस सम्बन्ध में ईकरारनामा डियुली स्टाम्प भी हो चुका है। अवतार सिंह के हिस्सा में 6 बीघा भूमि आती थी जो अवतार सिंह द्वारा माननीय जिलाधीश, श्रीगंगानगर के अनवानी प्रकरण करनैल सिंह बनाम अवतार सिंह में करनेल सिंह को जरिये राजीनामा दे दी थी क्योंकि पूर्व में अवतार सिंह द्वारा कृषि भूमि करनेल सिंह को बैय की हुई थी एवं माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया था कि अवतार सिंह सनद जारी करवाकर करनेल सिंह को बैयनामा करवायेगा परन्तु इन सभी तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय से सम्पूर्ण खाता की खातेदारी प्राप्त कर ली जो बाद में निरस्त हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपीले जेरकार है जो वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की हुई है। इन सभी तथ्यों को भी छुपाया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई जावे ताकि न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति आ सके। पुनर्वास विभाग श्रीगंगानगर अनवानी प्रकरण दिलेर सिंह बनाम किशन सिंह प्रकरण संख्या 86/2013 की प्रति पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली मंगवाई जावे ताकि न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति पेश हो सके एवं प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा, जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा सके एवं न्याायलय इन पत्रावलियों का अवलोकन कर मौजूदा निरस्त किया जावे ताकि न्यायालय का समय नष्ट न हो और प्रतिवादीगण को न्याय मिल सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होता है तो वह किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पुनर्वास विभाग की पत्रावली संख्या 86/2013 अनवानी दिलेर सिंह बनाम किशन सिंह मंगवाया जावे ताकि न्यायालय के समक्ष वस्तु स्थिति आ सके एवं प्रतिवादीगण को न्याय मिल सके। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1993 DNJ (S.C.) 166 एवं 2019 RBJ (S.C.) 617 प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि– अप्रार्थी/वादी के पिता ने कोई जमीन का इकरारनामा नहीं किया, ना ही कोई राजीनामा किया, ना ही उसे कोई इकरारनामा करने का अधिकार नहीं था। अब जमीन वादी के नाम है। वादी की भूमि पर [illegible] का कोई अधिकार नहीं है। जिला पूनर्वास विभाग से फाईल मंगवाने की आवश्यकता नहीं है जब उसकी नकल मिल सकती है। प्रतिवादी उसकी नकल ले सकता है फाईल के साथ इस मुकदमा का कोई सम्बन्ध नही है केवल [illegible] करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीण द्वारा प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रार्थना पत्र पर चस्पा नही होते है। प्रार्थी के कथनानुसार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगं

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:47 IST
Reason: Self Attested

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपीले जेरकार है चूंकि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय हाजा से उच्चतर न्यायालय है एवं उच्चतर न्यायालय से रिर्पोट तलब किया उचित नही है। पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर पृथक शक्तियों के साथ अलग कार्यप्रणाली संधारण करने वाला न्यायालय है जिनकी पत्रावली तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी आवश्यकतानुसार दस्तावेजात को प्रमाणित सत्यप्रतियां प्राप्त कर पृथक से आवेदन पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं वादी अधिवक्ता को जवाब वाद पत्र आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की हिदायत दी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब वादपत्र हेतु दिनांक 23.01.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested